राजस्थान सरकार
आयोजना (परीवीक्षण) विभाग

क्रमांकः प.5(9)/आयो/3/2019 दिनांकः 23.11.2021

जिला कलक्टर

विषयः बीस सूत्री कार्यक्रम तथा राज्य के फ्लेगशिप कार्यक्रमों की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग बाबत्।

महोदय,

बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए जिला प्रथम स्तरीय समिति जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जिला प्रथम स्तरीय समिति की बैठकों में बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के साथ–साथ राज्य के फ्लेगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की जावें। बीस सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं/मदों की सूची तथा राज्य के फ्लेगशिप कार्यक्रमों के आदेश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त
7. आयुक्त/निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान
8. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव, आयोजना

राजस्थान सरकार
आयोजना (परीवीक्षण) विभाग

क्रमांकः प.5(9)आयो/ग्रुप-3/2019 जयपुर दिनांकः 21.09.2021

आज्ञा

समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्धेश्य से इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा 13.05.2020 के अतिक्रमण में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यक्रम
1.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1. शुद्ध के लिये युद्ध 2. निरोगी राजस्थान 3. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 4. मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना 5. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
2.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1 रुपये किलो गेहूँ
3.	स्कूल शिक्षा	महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1. मुख्यमंत्री कन्यादान /हथलेवा योजना 2. सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ 3. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना 4. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 5. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 6. पालनहार योजना
5.	कृषि विभाग	राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019
6.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग	1. मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम 2. MSME Act – Self Certification
7.	उद्योग विभाग	Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2019
8.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	जन-सूचना पोर्टल
9.	आयोजना विभाग	जन आधार योजना
10.	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
11.	उच्च शिक्षा विभाग	1. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना
12.	स्वायत्त शासन विभाग	1. इंदिरा रसोई योजना 2. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
13.	वन विभाग	घर-घर औषधि योजना
14.	ऊर्जा विभाग	मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

उपरोक्त कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन मोनीटरिंग करें तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना संलग्न प्रपत्र में तैयार कर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय तथा आयोजना विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(नवीन जैन)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. संबंधित विभागाध्यक्ष।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना/आयोजना वित्त/जनशक्ति।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, आयोजना विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव, परीवीक्षण

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006 में शामिल कार्यक्रम/मदें

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
4. ग्रामीण आवास–प्रधानमंत्री आवास योजना
5. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए आवास
6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) : घर–घर नल कनेक्शन
7. संस्थागत प्रसव
8. अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता
9. एकीकृत बाल विकास योजना का सर्वव्यापीकरण
10. क्रियाशील आंगनवाड़ियॉ
11. सात सूत्र चार्टर अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों को सहायता
12. वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
13. ग्रामीण सड़के– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)
14. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतिकरण
15. पम्पसेटों का विद्युतीकरण